28/09/2021

वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। वकील अपीलांट ने दौरान बहस निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 90, 91, 92 क, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था, साथ ही बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी के पक्ष में अन्तरिम स्थगन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.07.2021 को पारित किया उसके पश्चात आगामी नियत पेशी पर 28.07.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने जबाव पेश किया था। उसके पश्चात अगली दो नियत पेशीयों पर पिठासिन अधिकारी बैठक कार्यों में व्यस्त थे। उसकी अगली पेशी पर दिनांक 24.08.2021 को पिठासीन अधिकारी अवकाश पर थै। पेशी दिनांक 26.08.2021 को अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी ओर उसके साथ प्रस्तावित जवाबुल प्रस्तुत किया गया। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी पेशी को नियत करते हुए बिना उक्त प्रार्थना पत्र पर आदेश किये ही सीधे मूल स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 17.09.2021 के आदेश को खारिज किया जो कानून के निहित प्रावधान के अन्तर्गत नही आता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध एवं अनियमितता से ग्रस्ति होने के कारण उक्त आदेश की पालना प्रभाव को स्थिगित फरमावे एवं अपीलांट के कब्जे काश्त मे दखल अंदाजी नही करने का आदेश प्रदान करावें।

वकील कैवियटकर्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र का लिखित जबाव दिया गया। जिसका अवलोकन किया गया एवं मनन किया गया। साथ ही दौरान बहस निवेदन किया कि बहस मे वर्णित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथ्योनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी जैर अपील आदेश पूर्णतयाः विधि सम्मत पारित किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साथ ही दौरान बहस यह तथ्य उजागर हुए कि उक्त वादग्रस्त आराजी अनरजिस्टर्ड बेचान इकरार के आधार बनाया गया है जो सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार का है। साथ ही उक्त वादग्रस्त आराजी बिग्रडियर राजेश्वरसिंह को सेना में होने से ऐलाट की गई थी। उक्त आराजी पैतृक नही होने के कारण बिग्रडियर के पिता द्वारा किया गया अनरजिस्टर्ड बेचान इकरार नामा अपोषणिय है जिसको आधार नही बनाया जा सकता है। तथा कानून के अनुसार वर्जनीय है। उक्त के अतिरिक्त दौरान बहस अवगत करवाया गया हस्तगत प्रकरण के संबंध में एक वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय हाजा इस मामले मे हस्तक्षेप करना विधिनुसार न्यायोचित नही समझता है। साथ ही उक्त प्रकरण के संबंध में हाजा न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किसी प्रकार की न्यायिक राहत या कोई आदेश दिया जाना उचित नही समझता है। तदनुसार पत्रावली फसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	